



## मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)  
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

प्राम: परसवार			पटवारी हल्का: परसवार			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2024-2025		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धा रण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्य तन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के बारे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभि युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1322	शशिकांता बेवा बालकरण पता परसवार undefined अनूपपुर मध्य प्रदेश 173/748 भाग भूमि स्वामी	अरुल मिश्र पिता सुरेंद्र मिश्र पता सोहागपुर शहडोल शहडोल मध्य प्रदेश 15/748 भाग भूमि स्वामी	अमित मिश्र पिता सुरेंद्र मिश्र पता सोहागपुर शहडोल शहडोल मध्य प्रदेश 15/748 भाग भूमि स्वामी	आरती पिता बालकरण पता परसवार undefined	284/1/1 (S) 0.7480 हेक्टेयर	कृषि 10	1.00	कुल भू-राजस्व	0.00	पंचायत उपकर	0.00	शाला उपकर	0.00	

प्रदेश 173/748 भाग भूमि स्वामी	कुल क्षे. 0.7480 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	वृ 1 0	वाणि ज्य कर	0.00
संतोष पिता बालकरण पता परसवार undefined अनूपपुर मध्य प्रदेश 173/748 भाग भूमि स्वामी				प्रीमिय म	0.00
मोहम्मद अकरम राठौड़ पिता मो बफाती राठौड़ पता परसवार अनूपपुर अनूपपुर मध्य प्रदेश 26/748 भाग भूमि स्वामी				शास्ति	0.00
शिव कुमार पिता बालकरण पता परसवार undefined अनूपपुर मध्य प्रदेश 173/748 भाग भूमि स्वामी				योग	0.00

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई.टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।